न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 135 / 2018
दावा दायरी दिनांक : 26 / 12 / 2018
निर्णय दिनांक : 14/08/2019

लाला पुत्र नारायण, जाति गुर्जर, निवासी किलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

1. रतनी पत्नी नन्दा
2. सुगनी पत्नी उदा
3. चन्दा पुत्र नारायण

} समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण किलां तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

4. तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति – श्री नारायणसहायक पारीक
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री शिवराम शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14/08/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्रीज विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 77 के आराजी खसरा नम्बर 67, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 कुल किता 12 कुल रकबा 1.9700 हैक्टेयर, खाता संख्या 78 के आराजी खसरा नम्बर 257, 258, 259, 265, 271, 273, 274, 275 कुल किता 08 कुल रकबा 5.5300 हैक्टेयर, खाता संख्या 79 के आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खाता संख्या 90 के आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 1.6600 हैक्टेयर, खाता संख्या 99 के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.7700 हैक्टेयर वाके ग्राम किलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका वादी मुताबिक जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अपने हिस्से का काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी पूर्व में वादी के पिता नारायण की रही है, जो वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात वादी व अन्य भाईयों को जरिये विरासत से प्राप्त हुई हैं। वादी का सही एव वास्तविक नाम लालाराम है, लेकिन वरवक्त विरासत वादी का नाम लालाराम के स्थान पर रतना दर्ज कर दिया गया जो कि गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया, जो काबिले दुरूस्तनीय हैं। इस प्रकार उक्त त्रुटि जो हुई है, वह मात्र राजस्व कारकुनानों की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी के आधारकार्ड में वादी का नाम लाला ही दर्ज है, जिससे भी साबित है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम लाला ही है, लेकिन जो इन्द्राज उक्त खाते में रतना का किया गया है, वह सहवन से किया गया हैं। वादी ने अभी हाल ही में किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 12/11/2018 को प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादी को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज वादी का नाम रतना हजफ किया जाकर उसके स्थान पर लाला दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करावें। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 18/03/2019 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, राशनकार्ड, पहचान–पत्र, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 77, 78, 79, 90, 99 में खातेदार का नाम रतना पुत्र नारायण दर्ज है, जबकि वादी द्वारा अपना नाम रतना के स्थान पर लाला बताया है एवं इसी अनुसार दुरुस्त करवाना चाहा हैं। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र आदि सभी में वादी का नाम लाला पुत्र नारायण दर्ज है जिससे यह साबित है कि वादी का सही एवं वास्तविक लाला ही है जो इन्द्राज जमाबन्दी में वादी का नाम रतना दर्ज किया गया है, वह मात्र सहवन से लिपिकीय भूलवश होना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता सख्या 77 के आराजी खसरा नम्बर 67, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 कुल किता 12 कुल रकबा 1.9700 हैक्टेयर, खाता संख्या 78 के आराजी खसरा नम्बर 257, 258, 259, 265, 271, 273, 274, 275 कुल किता 08 कुल रकबा 5.5300 हैक्टेयर, खाता संख्या 79 के आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खाता संख्या 90 के आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 1.6600 हैक्टेयर, खाता संख्या 99 के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.7700 हैक्टेयर वाके ग्राम किलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज खातेदार रतना पुत्र नारायण के स्थान पर लाला पुत्र नारायण दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/8/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31 ...

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

आन्तिम डिक्री

(औ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

व इजलास (श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत RAS)

लाला पुत्र नारायण जाट बनाम रतनी w/o नन्दा, सुगनी w/o उदा नि० किशो दावा बाबत घोषणा धारा 136 नन्दा पुत्र नारायण जाट

मुकदमा नं. 135/2018 सन्

तहसीलदार दूदू

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायण सहाय पारीक एडवो

व हाजिरी .... मिन्जानिब मुद्दई रूबरू श्री शिवराम वर्मा एडवो

मिन्जानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत-वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता नं० 77 के आ० खसरा नं. 67, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 231 कुल किता 12 कुल रकबा 1.9700 हे० खाता नं० 78 के आ० ख० नं० 257, 258, 259, 265, 271 273, 274, 275 कुल किता 08 कुल रकबा 5.5300 हे० खाता नं० 79 के आ० ख० नं० 342 रकबा 0.4200 हे० खाता नंबर 90 के आ० ख० नं० 262 रकबा 1.6600 हे०, खाता सं० 99 के आ० ख० नं० 78 रकबा 1.7700 हे० वाके ग्राम किशो तहसील दूदू में दर्ज खातेदार रतना पुत्र नारायण के स्थान पर लाला पुत्र नारायण दर्ज किया जाता है।

निज .... मुतालिग .... जीवित

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वगैरह .... फरीकैन .... अदा करेगा

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

जारी की गई।

14-08-2019

दस्तखत [signature]

मुहर [stamp: उपखण्ड अधिकारी दूदू जयपुर]

ओहदा उपखण्ड अधिकारी दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Shekhawat
Date: 2019.11.25 12:14:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: